भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 663

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 जुलाई, 2014 को दिया गया)

<u>कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं को शामिल किया जाना</u>

663. श्री के. एन. बालगोपाल :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं को शामिल किया जाना अनिवार्य बना दिया गया है;

(ख) देश में कुल कितनी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं; और

(ग) वर्तमान में कितनी कंपनियों के निदेशक मंडल में पहले से ही महिला निदेशक मौजूद हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) : जी, हां। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी, जिसकी प्रदत्त शेयरपूंजी एक सौ करोड़ रुपए से कम न हो अथवा कारोबार तीन सौ करोड़ रुपए अथवा अधिक हो, के लिए कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है।

(ख) : एमसीए21 डाटाबेस से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में 1,26,077 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं।

(ग) : पब्लिक लिमिटेड कंपनियों सहित 4,83,323 कंपनियों में बोर्ड सदस्यों के रूप में महिला निदेशक हैं।

*****